परिपत्र सं० 3/2018- सीमाशुल्क

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय

नयी दिल्ली, जनवरी,2018

सभी प्रधान मुख्य/मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क/निवारक/केन्द्रीय कर
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, सी बी ई सी के अंतर्गत आने वाले
सभी प्रधान एडीजी/एडीजी, सी बी ई सी के अंतर्गत आने वाले

महोदया/महोदय,

विषय: ए ई ओ कार्यक्रम परिपत्र सं० 33/2017, दिनांक 22/7/2016 में संशोधन- की बावत:

कृपया आप ए ई ओ कार्यक्रम से संबन्धित सी बी ई सी के परिपत्र सं० 33/2016, दिनांक 22/7/2016 पर ध्यान दें। विदेश व्यापार नीति की (एफटीपी) मध्य-कालिक समीक्षा के परिणामस्वरूप, जहां कि ए ई ओ प्रमाणित निकायों को कुछ अतिरिक्त लाभ दिये गए हैं, वहीं सी बी ई सी के वर्तमान परिपत्र 33/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 22.07.2016 कुछ परवर्तन किए जाने कि सख्त आवश्यकता है।

2. इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के दायरे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि ए ई ओ के आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण कारण किया जाय जिससे के व्यापार सुविधा और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

3. तदनुसार, उपर्युक्त परिपत्र के कुछ पैरों में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए हैं:

i. पैरा 1.5.1xi को निम्नलिखित रूप में जोड़ा जाएगा:

"एफटीपी 2015-2020 के पैरा 4.7क में निर्धारित शर्तों के अनुसार, जहां किसी निर्यात उत्पाद के लिए कोई SION/तदर्थ मानक निर्धारित नहीं है, और जहां SION को अधिसूचित कर दिया गया है, लेकिन निर्यात कर्ता विनिर्माण की प्रक्रिया में अतिरिक्त इन-पुट का प्रयोग करना चाहता है, तो पात्र निर्यात कर्ता, जो की एक एईओ हो, इस योजना के अंतर्गत स्व-घोषणा और स्वतः पुष्टीकरण के आधार पर अग्रिम प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।"

ii. पैरा 2.4 को इस प्रकार पढ़ा जाएः

"आवेदन को सीधे संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त के कार्यालय को भेजा जाए और उसकी एक प्रति ए ई ओ प्रोग्राम मैनेजर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय के पास भेज दी जाए और यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो उसकी प्रति एईओ प्रोग्राम मैनेजर,

अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय, 10वां तल, टावर-II, जीवन भारतीय बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजी जाए।“

iii. पैरा 2.5 को इस प्रकार पढ़ा जाएः

“आयुक्त, अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय, 10वां तल, टावर-II, जीवन भारतीय बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ए ई ओ प्रोग्राम मैनेजर होंगे और ए ई ओ प्रोग्राम टीम का गठन अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय या अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क जोनों के अधिकारियों को मिलाकर किया जाएगा।“

iv. पैरा 3.2.6 को इस प्रकार जोडा जाएः

“पैरा 3.2.1 के अनुसार कानूनी अनुपालन के लिए ए ई ओ आवेदको के ब्यौरे सीबीईसी की बेवसाइट पर रखे जाएंगे। (Home-> Departmental officers-> Systems/Home-> Public Information-> Indian AEO programme), फील्ड कार्यालय ब्यौरों को लोड किए जाने के 14 दिन के भीतर अपेक्षित कानूनी अनुपालन सूचना के साथ संबंधित कार्यालय (अर्थात जोनल ए ई ओ सेल) से सीधे संपर्क कर सकते हैं।“

v. पैरा 3.4 को इस प्रकार पढ़ा जाएः

“आवेदन की तारीख से पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आवेदक को वित्तीय रूप से संपन्न होना चाहिए। आवेदक मौजूद स्थिति में दिवालियें अथवा लिक्विडेसन अथवा दिवालियेपन के रूप में सुचीबद्ध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक पिछले 3 वर्ष के दौरान देय सीमाशुल्क ड्यूटी के भुगतान के संबंध में चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
एईओ टी1 और टी2 दर्जे के लिए आवेदन करने वाले आवेदक, संपन्नता के मानदंडो का उल्लेख करते हुए (पिछले 3 वित्तीय वर्ष के संबंध में) कंपनी की लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर तैयार किए गए साविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी संपन्नता प्रमाण-पत्र अथवा किसी निष्पक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी संपन्नता प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।
इसके अलावा टी3 और एलओ (और समीक्षा के टी2 आवेदक) के लिए आवेदन करने वाले आवेदक आवेदक के साविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी संपन्नता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।”

vi. अनुबंध ई.4(छ) को इस प्रकार पढ़ा जाएः

“क्या साविधिक लेखापरीक्षक अथवा निष्पक्ष ख्याति प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी संपन्नता प्रमाण-पत्र है? इसकी प्रति सुलभ करवाएं”

vii. पैरा ई.2(ख) को इस प्रकार पढ़ा जाएः

“ई.2(ख.1) क्या पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान आपके विरूद्ध कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है? यदि हां तो अभियुक्ति कॉलम में ब्यौरा दर्शाएं।

ई.2(बी.2) क्या धोखाधड़ी, आउट राईट तस्करी, गुप्त तरीके से उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुओं को हटाएं जाने अथवा ऐसे मामले जहां ग्राहक से सेवाकर एकत्रित कर लिया गया है

अपितु सरकार को जमा नहीं करवाया गया है, के संबंध में पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यदि हां तो अभियुक्ति कॉलम में ब्यौरा दर्शाएं।"

viii. पैरा 5.1 को इस प्रकार पढ़ा जाएः

"एईओ प्रमाण-पत्र की वैधता, एईओ-टी1 और एईओ-टी2 के संबंध में तीन वर्ष और एईओ-टी3 और एईओ-एलओ के संबंध में 5 वर्ष होगी"

ix. अनुबंध क (4) को इस प्रकार पढ़ा जाएः

"क(4) पताः

(यदि एक साईट/लोकेशन से अधिक साईट/लोकेशन है तो सभी साईट/लोकेशन के लिए एक अलग सूची संलग्न की जाए)

क 4 (क) क्या आवेदक निर्माता अथवा व्यापारी है
क 4 (ख) यदि आवेदक निर्माता है तो उसके उत्पादन की क्या क्या मुख्य मदें हैं।
क 4 (ग) आवेदक के कार्यकरण का आर्थिक क्षेत्र (उदाहरण के तौर पर आटो/फार्मा/फर्टीलाइजर इत्यादि)"

x. पैरा 5.3.6 को इस प्रकार जोड़ा जाएः

"सभी क्षेत्राधिकार प्राप्त/जोनल एईओ सेल, अपने अपने क्षेत्राधिकार में सभी एईओ संगठनों के संबंध में ग्राहक संपर्क प्रबंधक के रूप में कम से कम एसी/डीसी रैंक के अधिकारी को नामजद करेंगे। इस नामांकन का सुविधापरक नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।"

4. बोर्ड का दिनांक 22.07.2016 का परिपत्र सं. 33/2016-सीमाशुल्क उपर्युक्त सीमा के अनुसार संशोधित किया जाता है।

5. व्यापार/सार्वजनिक नोटिस जारी करके इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

6. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई आये तो उसे इस कार्यालय के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय

(मनीष कुमार)
संयुक्त आयुक्त (डीआईसी)